

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 51 / 2024 मु.दी.41 (CIS No.50/2024)  विष्णु वगै. बनाम उदयगिरि वगै. (1/3) आदेश दिनांक : 25.09.2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25.09.2024 विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी ने मूल वाद में वकालतनामा प्रस्तुत किया है। जवाब टी.आई. के लिये समय चाहा। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 ने अधिवक्ता नियुक्त करने के लिये समय चाहा। अप्रार्थी संख्या 3 का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ परन्तु कोई उपस्थित नहीं। आवाजें लगाई गई कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अंतरिम अनुतोष पर बहस सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि हस्तगत प्रकरण संविदा की विशिष्ट पालना बाबत् प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण विवादित मकान मय भूखण्ड का विक्रय करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे विवादित मकान मय भूखण्ड को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें एवं विवादित सम्पत्ति का कब्जा भी किसी अन्य को सुपुर्द नहीं करें। विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रार्थीगण जिस विक्रय इकरार के आधार पर न्यायालय के समक्ष आये हैं वह विक्रय इकरार दिनांक 10.10.2016 का है। हस्तगत प्रकरण म्याद अवधि बाहर प्रस्तुत किया गया है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावें। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित मकान मय भूखण्ड को उसने जरिये विक्रय इकरार कर दिया है इसलिये विवादित मकान मय भूखण्ड पर उसका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 51 / 2024 मु.दी.41 (CIS No.50/2024)  विष्णु वगै. बनाम उदयगिरि वगै. (2/3) आदेश दिनांक : 25.09.2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकार है। प्रार्थीगण की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावें। उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/वादीगण ने अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक दीवानी वाद संविदा की विशिष्ट पालना, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया है। उक्त वाद के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने विवादित मकान मय भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 1 से रुपये 20,51,000/— में क्रय करना तय करते हुये विक्रय इकरारनामा दिनांक 10.10.2016 निष्पादित होना बताया है। विक्रय इकरार दिनांकित 10.10.2016 की प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध है। विक्रय इकरार दिनांकित 10.10.2016 की शर्त संख्या 6 में यह अंकित है कि “यह कि उक्त भूखण्ड मय मकान का पंजीयन मार्च, 2017 तक करा देंगे। प्रथम पक्ष उदयगिरी के द्वारा नगरपालिका से स्वीकृति का कार्य अधूरा है कार्य पूरा होते ही करा देंगे।” जहां तक अप्रार्थी संख्या 1 की इस आपत्ति का प्रश्न है कि विक्रय इकरार म्याद अवधि बाहर है तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विक्रय इकरार दिनांक 10.10.2016 की शर्त संख्या 6 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित मकान मय भूखण्ड का नगरपालिका से स्वीकृति का कार्य पूर्ण करवाने के पश्चात् ही विवादित मकान मय भूखण्ड का पंजीयन करवाया जाना था। विवादित मकान मय भूखण्ड का पट्टा विलेख (फ्री होल्ड) दिनांक 20.02.2022 को जारी होना बताया गया है जिसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर है। क्या हस्तगत प्रकरण म्याद बाहर है अथवा नहीं? यह बिन्दु साक्ष्य का विषय है। इकरारनामा दिनांकित 21.09.2024 की प्रतिलिपि भी पत्रावली पर उपलब्ध है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 51 / 2024 मु.दी.41 (CIS No.50/2024)  विष्णु वगै. बनाम उदयगिरि वगै. (3/3) आदेश दिनांक : 25.09.2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रार्थी संख्या 1 ने विवादित मकान मय भूखण्ड को प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में विक्रय करने का इकरार किया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने भी विक्रय अनुबंध पत्र दिनांकित 12.09.2024 के आधार पर विवादित मकान मय भूखण्ड को स्वयं का होना बताया है। प्रकरण के इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदत्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादित मकान मय भूखण्ड के कब्जा हस्तान्तरण/विक्रय के संबंध में मौके की आज की स्थिति को यथावत् बनाये रखें। पत्रावली वास्ते जवाब टी.आई. हेतु दिनांक 28.10.2024 को पेश हो।	